

कुमार

5 नम्बर वर
अहकाम
हुक्म की तालील
में जारी हुए

न्यालय
बनाम
किस्म मुकदमा मु. नं. वर्ष

दिनांक आज्ञा-पत्र

7/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित। अग्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना मग नोटिस तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 12/4/18 को पेश हो।

12/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपास्थित। अग्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना मग नोटिस तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 16/4/18 को पेश हो।

7/6/18 वकील प्रार्थी उपास्थित। तलबाना पेश करने हेतु समग चाहा। तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 20/6/18 को पेश हो।

20/7/18 वकील प्रार्थी उपास्थित। बहुम साबिका दि. 27/9/18 को पेश हो।

11/11/18 निर्धारित तिथि को सौदागिक कर्तव्यारिओ का साप्टिक अवकाश होने से पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी उपास्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 31/1/19 को पेश हो।


31/1/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। तलबाना पेश करने हेतु समग चाहा। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 14/3/19 को पेश हो।

14/3/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। बहुम साबिका पत्रावली दि. 29/5/19 को पेश हो।

29/5/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। ADM सा. अवकाश पर ही बहुम साबिका पत्रावली दि. 31/8/19 को पेश हो।

31/8/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12/10/19 को पेश हो।

17/10/19 पत्रावली पेश हुई। अग्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना मग नोटिस तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दि. 21/11/19 को पेश हो।



मैनेजर RTDC होटल हवेली, जालेडपुरा
 रोखावारी के द्वारा 24/11/2013 को इस
 न्यायालय में PDR Act के अंतर्गत वसूली
 हेतु जा.पत्र प्रस्तुत किया। श्री अशोक
 कुमार पारीक, मु.पो. बीबास, सीकर के
 विरुद्ध यह जाचनानामा मद्र Requisition
 for a certificate of recovery of
 252,834/- प्रस्तुत किया गया। इस न्यायालय
 से दि. 20/3/15 एवं 29/12/2017
 के notice जारी किया गया, परंतु
 पूर्व पत्र के अभाव एवं स्पष्ट पत्र के
 अभाव में तारीख नहीं हुई है। प्रार्थी के
 द्वारा भगवती का सही पता/वास्तविक
 निवास स्थान पेश नहीं किया जा रहा है।
 साथ ही जाचनानामा के साथ अपुनाहीत
 दस्तावेजों संलग्न किए हैं। प्रार्थी के द्वारा
 जाचनानामा भरते हुए सही पत्र के गेटिफ
 पेश करने में कोई काचि नहीं दिखाया है।
 अतः सही/स्पष्ट/वास्तविक नाम-पत्रों
 सहित जाचनानामा इस न्यायालय में पेश
 करने की अनुमति/निर्देश के साथ यह
 जाचनानामा पुनः प्रार्थी से लेखने के रूप
 में निस्तारित किया जाता है। इसकी एक प्रति
 Tourism department को भी उपरोक्त मद्र
 जाचनानामा इसी तारू पर संलग्न होकर पोषित
 देखा है।

17/10/19